न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ (राज.)

अनवान आज्ञादेवी बनाम मोहित मांडण

अपील अन्तर्गत 225 आरटीएक्ट क्रमांक 227 / 2023

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
31.08.2023	पत्रावली स्थगन प्रार्थना–पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई। प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। विद्वान अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना–पत्र धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्टा एक खातेदार काश्तकार है जो कि अपने हक हिस्सा के हद तक काबिज होकर काश्त करती आ रही है। अधीनस्थ न्यायलाय ने खातेदार काश्तकार के विरूद्ध एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी कर अहम भूल की है। अपीलाण्टा अपनी खातेदारी रकबा को उपभोग नहीं कर पा रही है ना ही किसी प्रकार ऋण ले सकती है। अपीलाण्ट अपने खातेदारी भूमि में सभी प्रकार के हस्तान्तरण की अधिकारिणी है इन तथ्यों को अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रश्गनत अंतरिम आदेश दिनांक 03.07.2019 को जारी किया गया है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की हक हिस्सा की भूमि में इस आशय का स्थगन जारी किया है कि भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से अंतरित नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई नहीं होने के कारण अपीलाण्टा ने यह अपील पेश की है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। अतः प्रश्नगत स्थगन आदेश को निरस्त किया जावे।विद्वान अधिवक्ता ने न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (21) 2014 पेज 255 प्रस्तुत किया। विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 03.07.2019 के विरूद्ध पेश की गई है	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरवीजे (21) 2014 पेज 255 में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 212 आरटीएक्ट में पारित किसी भी आदेश की जो चाहे अंतरिम हो अथवा अंतिम उसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रश्नगत आदेश दिनांक 03.07.2019 अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाण्ट ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर दिया था, लेकिन स्थगन प्रार्थना–पत्र का निस्तारण नही किया गया है। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 05.09.2023 मुकर्रर है। अपीलाण्ट के जवाब प्रस्तुत होने पर इस संबंध में कोई विवेचना नहीं किया जबकि एकपक्षीय स्थगन को 30 दिवस में निस्तारण किया जाना चाहिए था। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि की अभिलिखित खातेदार काश्तकार है एवं आक्षेपित आदेश एकपक्षीय है। आक्षेपित आदेश में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचना नहीं की गई है। उक्त परिस्थियों में अपील अपीलांट स्वीकार की जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी के प्र0 सं0 48/2019 अनवान मोहित मांडन बनाम आज्ञादेवी में पतिर आदेश दिनांक 03.07.2019 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय उक्त प्रकरण में पक्षकारों को सुनकर 30 दिवस में विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 31/8/23..... को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार असीजा)
सहायक अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner